

**ग्राम पंचायत घाड़ II, विकास खण्ड नगरौटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
भाग-एक**

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत घाड़ II, विकास खण्ड नगरौटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कर्म चंद	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विश्वास गुलेरिया	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अमिता रानी	01.04.2021 से 21.07.2021
2.	श्री शशिधर	21.07.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रमन कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत घाड़ II के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	44.31
2.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.49
3.	8.1	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से संभावित राजस्व हानि	2.34
4.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.29
5.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	24.07
6.	8.4	सिमेन्ट की खरीद उपरांत अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	3.56
7.	9	निर्माण कार्य हेतु अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना	0.11
8.	10.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.07

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत घाड़-II, विकास खण्ड नगरौटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया,

कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21.03.2024 से 27.03.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	08/2021	07/2021
2022-23	05/2022	05/2022

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 06/2024/घाड़ II दिनांक 27.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 07/2024 दिनांक 21.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" पर दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	545810.20	52672.00	598482.20	133119.00	465363.20
2022-23	465363.20	310445.00	775808.20	230742.00	545066.20

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	3361338.02	8570141.12	11931479.14	8130591.56	3800887.58
2022-23	3800887.58	9827569.84	13628457.42	9197138.49	4431318.93

कुल योग (1+2) = 545066.20 + 4431318.93 = 4976385.13

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹49,76,385.13** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹49,76,385.13** (परिशिष्ट - "ग") से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.23 को (₹)
1	स्व: स्त्रोत	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080147	543619.20
2	5वाँ राज्य वित्तायोग	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394361	428019.87
3	वी.के.वी.एन.वाय.	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213365	41421.80
4	एस.डी.पी.	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060044762	237847.30
5	एम.पी.एल.ए.डी.	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213773	24959.00

6	ए.ए.वाई. / एम.एम.ए.वाई.	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213819	6704.00
7	टी.एस.सी./एस.बी.एम.	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394528	0.00
8	14 वाँ वित्तयोग	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50063079453	0.00
9	15 वाँ वित्तयोग	HDFC नगरोटा सूरियाँ	5010036674762 5	3619427.96
10	एम.एम.जी.पी.वाई.	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50058098371	4073.00
11	आई.डब्ल्यू.एम.पी.	KCCB नगरोटा सूरियाँ	5005792803	0.00
12	डब्ल्यू.डी.एफ. (अंशदान)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060664753	68866.00
13	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			1447.00
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग :				4976385.13
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-				
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-				₹49,76,385.13
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-				₹49,76,385.13
अंतर :-				₹0.00

4.1 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ II दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ II दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹44.31 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, करधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 07/2024 दिनांक 21.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - "क" व परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹44,31,318.93 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व/सम्पत्तिकर गृहकर राशि ₹1.49 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सम्पत्तिकर/गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/घाड़ ॥ दिनांक 21.03.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 01/2024 दिनांक 21.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई निम्न सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ₹25/- प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹1,49,200.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा:-

वसूली हेतु शेष सम्पत्तिकर/गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष (₹)	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹) (कालम 2+5)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹) (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2021-22	1,06,250.00	850	25.00	21,250.00	1,27,500.00	0.00	1,27,500.00
2022-23	127500.00	868	25.00	21,700.00	1,49,200.00	0.00	1,49,200.00

उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की बढ़ौतरी एवं नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ ॥ दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹2.34 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2021 व 05/2022 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - "घ"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹2,34,308.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ II दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹2,34,308.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार

के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार, वस्तुस्थिति अनुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹3.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 07/2021 व 05/2022 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹3,29,861.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय संलग्न परिशिष्ट "ड" में दर्शाई गई औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ II दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा बताया गया कि समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व अब नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त वर्णित नियम प्रावधानों की उलंघना एवं बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार राशि ₹24.07 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट "च" पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹24,07,490.40** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ ॥ दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गलती से स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 सीमेंट की खरीद उपरांत अग्रिम राशि ₹3.56 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना:-

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन को निर्माण कार्य में प्रयोग हेतु सीमेंट की मांग की जाती है व मांग की पूर्ति हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि में से **₹3,56,116.44 की राशि** समायोजन हेतु शेष थी, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "छ" में दिया गया है, जोकि ग्राम पंचायत के अकुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ ॥ दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य में गलत प्राक्कलन के कारण अधिक मांग कर दी गई थी परंतु निर्माण कार्य में सीमेंट की खपत कम हुई व इसी कारण हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन के पास उक्त राशि समायोजन हेतु शेष है जिस पर शीघ्र उचित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उक्त राशि के शीघ्र समायोजन हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9. निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार कुलवीर सिंह सुखविंदर सिंह जीवन सिंह रणजीत सिंह युधवीर सिंह इत्यादि की जमीन में वार्ड न० 5 हेतु राशि ₹0.11 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार कुलवीर सिंह सुखविंदर सिंह जीवन सिंह रणजीत सिंह युधवीर सिंह इत्यादि की जमीन में वार्ड न० 5 का सम्बन्धित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण निम्न विवरणानुसार राशि ₹11,251.00 का अधिक भुगतान किया गया था :-

कार्य परिसंपत्ति संख्या : 1304010461/FP/8000082162			
अनुदान शीर्ष : मनरेगा			
समग्री का मुल्यांकन : 186602.00 कुल व्यय राशि : 246360.00			
एम० बी० संख्या : 25581 पृष्ठ संख्या : 53,62 व 75			
1. Error.. While measuring entry of 3rd running entry of above work item 1 P/L PCC 1:4:8 with 40 mm aggregate, total measurement done 40.05 M³ in Page no. 62, but in the 3rd running bill entry taken for 24.60 M³ (40.05 – 15.45) instead of 40.05 M³ and entry of 15.45 M³ is kept as carried forward for next running bill. But while carry forwarding above entry of 15.45 M³ in 4th and final Running bill at Page no. 75 the entry taken 24.66 M³ instead of 15.45 M³, resulting in 9.21 M³ (24.66-15.45) excess measurement done. This error has resulted in excess payment as under:-			
Description of Item	Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
Item 1:- Page 62 P/L PCC 1:4:8 with 40mm Agg. (12.86+20.08+4.32+3.24) = 40.5 {40.05 – 15.45 = 24.60 M ³ (Measured))	Item 1:- Page 75 P/L PCC 1:4:8 with 40mm Agg. 24.66 M ³ (taken as carry fwd from Page 62) in place of 15.45 M ³ Extra carry fwd quantity = 24.66-15.45 = 9.21M ³	9.21 M ³ @ ₹651.897/ M ³	6004
Extra payment (A)			6004.00

2. Error: Recording excess Length in Item 3, resulting excess measurement

- In Item No. 1 (Excavation work) the measurement of length had taken 57.20 Mtrs , but while measuring Item No. 3 (Formwork) the length had taken (12.20+15+15+9.00) 51.20 Mtrs.

➤ Measurement of Item No. 4 (1:4:8) were measured @ page no. 53 for (12.20 + 5.00) 17.20 Mtrs and at Page 62 for (10+15+9+9) 43 Mtrs. which totaling the length of item no. 4 is 60.20 Mtrs.

➤ If form work had done for 51.20 Mtrs, than CC work is not possible to be done for 60.20 Mtrs., that means (60.20-51.20 Mtrs) 9 Mtrs were measured extra while measuring CC work.

➤ In addition to above excavation was done for 0.60 mtrs depth and formwork was done for (04 different height i.e. (1.40, 1.75, 1.80 & 0.90), but while measuring CC Work the height were measured extra., as compare with (excavation + formwork).

This error has resulted in excess payment as under:-

Description of Item	Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
Page 53 Item3:-P/L PCC 1:4:8 $1 \times 12.20 \times 0.50 \times 2.15 = 13.11$ $1 \times 5.00 \times 0.525 \times 2.45 = 6.43$ Page 62 Item3:-P/L PCC 1:4:8 $1 \times 10 \times 0.525 \times 2.45 = 12.86$ $1 \times 15 \times 0.525 \times 2.55 = 20.08$ $1 \times 9 \times 0.40 \times 1.20 = 4.32$ Mtrs $1 \times 9 \times 0.40 \times 0.90 = 3.24$ Mtrs (extra length measured as compare with formwork) Total = 60.04 M ³	Page 53 Item3:-P/L PCC 1:4:8 $1 \times 12.20 \times 0.50 \times 2.00$ (i.e. 0.60 + 1.40) = 12.20 $1 \times 5.00 \times 0.525 \times 2.35$ (i.e. 0.60 + 1.75) = 6.17 Page 62 Item3:-P/L PCC 1:4:8 $1 \times 10.00 \times 0.525 \times 2.35$ (i.e. 0.60 + 1.75) = 12.34 $1 \times 15.00 \times 0.525 \times 2.40$ (i.e. 0.60 + 1.80) = 18.90 $1 \times 9.00 \times 0.40 \times 1.20 = 4.32$ Total = 53.93 M³	60.04 M ³ - 53.93 M ³ = 6.11 M ³ @ ₹ 651.897/ M ³	3983/-
Total extra payment			3983
Total Assessment of material			186602
%age of excess assessment of material (3983/186602X100)			2.13%
Net payment of the work			246360
Hence net extra payment (246360X2.13%) (B)			5247.00

Total Extra Payment (A+B) = 6004.00 + 5247.00 = 11251.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/घाड़ ॥ दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक 11/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि माप गणना सम्बन्धी त्रुटि की जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था (उदाहरणार्थ ऊपर वर्णित पैरा 9) तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की वसूली बारे :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2600.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/घाड़ II दिनांक 22.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 11/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	नाम	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली की गई राशि (₹)	बैंक का लेन देन विवरण
1	श्री विजय सिंह	814401	26/03/2024	₹ 400.00	₹ 400.00	UTR NO. SBIN124086179549 Date 26/03/2024 Amount Rs. 1800 /-
2	श्री रमन कुमार	814402	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
3	श्री विपन सिंह	814403	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
4	श्री नितीश गुलेरिया	814404	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
5	श्री सुनील कपूर	814405	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
6	श्री मंजीत सिंह	814406	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
7	श्री राहुल सिंह	814407	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
8	श्री अर्जुन सिंह	814408	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
9	श्री विक्रान्त धीमान	814409	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	UTR NO. SBIN224087147360 Date 27/03/2024 Amount Rs. 800 /-
10	श्री सनी दयोल	814410	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
11	श्री विशाल चौधरी	814411	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
12	श्री दीपक नरियाल	814412	26/03/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	
			कुल योग	₹ 2,600.00	₹ 2600.00	₹ 2600.00

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली की पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹7002.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/घाड़ II दिनांक 22.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक 11/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया

कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को वस्तुस्थिति की जाँच उपरान्त तदानुसार सरकारी कोष में जमा करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	तकनीकी जाँच पड़ताल और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
6.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10
7.	बजट प्राक्कलन	37	11
8.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
9.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-----
10.	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय / वेतन का रजिस्टर	-----	-----

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/घाड़ ॥ दिनांक 27.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

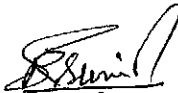
13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही, जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

3340-3344

11 JUL 2024

क्र०/७०


(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)409/2024-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

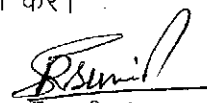
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
- 5 सचिव, ग्राम पंचायत घाड़-II, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

11 JUL 2024

क्र०/७०



(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

492/2122-122

— 40 —

②

॥१॥
 (रा.क.अ.अ.सा.)
 प्रचारित सचिव
 ग्राम प्रचारित
 भाद-११
 जलपान खाद नगरोला पुरिया (हि.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत घाड़ II विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ ज़िला काँगड़ा,

हि०प्र०, पिन-176023

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत घाड़ II के दिनांक 01.04.2021 व 31.03.2023 को बैंक शेष:-

क्र०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक गत शेष 01.04.21 को	बैंक अंत शेष 31.03.23 को
1	सभा निधि / SF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080147	544363.20	543619.20
2	पाँचवां वित्त/5 TH STATE	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394361	505853.27	428019.87
3	विधायक निधि / VKVNY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213365	86634.80	41421.80
4	SDP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060044762	14477.30	237847.30
5	सांसद निधि /MP LADS	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213773	121693.00	24959.00
6	अटल आवास योजना / मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना AAY / MMAY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056213819	6327.00	6704.00
7	स्वच्छ भारत मिशन /TSC / SBM	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056394528	2094.00	0.00
8	14वां वित्तायोग / 14FC	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50063079453	1738717.86	0.00
9	15वां वित्तायोग / 15FC	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100366747625	681695.00	3619427.96
10	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना /MMGPY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50058098371	3873.00	4073.00
11	IWMP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	5005792803	135016.79	00.00
12	WDF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50060664753	64985.00	68866.00
			जोड़ (क)	3905730.22	4974938.13
			हस्तगत शेष (ख)	1447.00	1447.00
			कुल जोड़ (क + ख)	3907177.22	4976385.13

(रमेश कुमार)

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत

घाड़-II

विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत घाड II खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

पैरा संख्या " ४.१ " के सन्दर्भ में

Sr No	Name of Supplier	Vr. No. / Date	Bill No. / Date	Name of Item	Qty. (sqft)	Qty. (cum)	Determining Factor	Qty MT	Royalty (Per MT)	Due Royalty
MNREGA										
1	Nagni Mata Stone crusher	216 / 25.05.2022	1851 / 18.11.2021	SAND	255	7.222	1.62	11.70	80	936.00
				AGGREGATE	485	13.735	1.52	20.88	80	1670.40
2	Nagni Mata Stone crusher	217 / 25.05.2022	1852 / 18.11.2021	SAND	326	9.233	1.62	14.96	80	1196.80
				AGGREGATE	620	17.559	1.52	26.69	80	2135.20
3	Nagni Mata Stone crusher	218 / 25.05.2022	1853 / 18.11.2021	SAND	320	9.063	1.62	14.68	80	1174.40
				AGGREGATE	638	18.069	1.52	27.46	80	2196.80
4	Nagni Mata Stone crusher	219 / 25.05.2022	1854 / 19.11.2021	SAND	650	18.408	1.62	29.82	80	2385.60
				AGGREGATE	1300	36.817	1.52	55.96	80	4476.80
5	Nagni Mata Stone crusher	220 / 25.05.2022	1855 / 19.11.2021	SAND	385	10.903	1.62	17.66	80	1412.80
				AGGREGATE	730	20.674	1.52	31.42	80	2513.60
6	Nagni Mata Stone crusher	221 / 25.05.2022	1856 / 19.11.2021	SAND	465	13.169	1.62	21.33	80	1706.40
				AGGREGATE	1590	45.030	1.52	68.45	80	5476.00
7	Nagni Mata Stone crusher	222 / 25.05.2022	1877 / 03.12.2021	SAND	700	19.824	1.62	32.12	80	2569.60
				AGGREGATE	2700	76.466	1.52	116.23	80	9298.40
8	Nagni Mata Stone crusher	223 / 25.05.2022	1878 / 03.12.2021	SAND	775	21.948	1.62	35.56	80	2844.80
				AGGREGATE	2750	77.882	1.52	118.38	80	9470.40
9	Nagni Mata Stone crusher	224 / 25.05.2022	1934 / 30.12.2021	SAND	300	8.496	1.62	13.76	80	1100.80
				AGGREGATE	550	15.576	1.52	23.68	80	1894.40
10	Nagni Mata Stone crusher	225 / 25.05.2022	1935 / 30.12.2021	SAND	200	5.664	1.62	9.18	80	734.40
				AGGREGATE	345	9.771	1.52	14.85	80	1188.00
11	Nagni Mata Stone crusher	226 / 25.05.2022	1936 / 30.12.2021	SAND	200	5.664	1.62	9.18	80	734.40
				AGGREGATE	350	9.912	1.52	15.07	80	1205.60
12	Nagni Mata Stone crusher	227 / 25.05.2022	1937 / 30.12.2021	SAND	500	14.160	1.62	22.94	80	1835.20
				AGGREGATE	2000	56.641	1.52	86.09	80	6887.20
13	Nagni Mata Stone crusher	228 / 25.05.2022	1938 / 30.12.2021	SAND	430	12.178	1.62	19.73	80	1578.40
				AGGREGATE	920	26.055	1.52	39.60	80	3168.00
14	Nagni Mata Stone crusher	229 / 25.05.2022	1939 / 30.12.2021	SAND	200	5.664	1.62	9.18	80	734.40
				AGGREGATE	350	9.912	1.52	15.07	80	1205.60
15	Nagni Mata Stone crusher	230 / 25.05.2022	1940 / 31.12.2021	SAND	190	5.381	1.62	8.72	80	697.60
				AGGREGATE	320	9.063	1.52	13.78	80	1102.40
16	Nagni Mata Stone crusher	231 / 25.05.2022	1941 / 31.12.2021	SAND	200	5.664	1.62	9.18	80	734.40
				AGGREGATE	350	9.912	1.52	15.07	80	1205.60
17	Nagni Mata Stone crusher	232 / 25.05.2022	1942 / 31.12.2021	SAND	200	5.664	1.62	9.18	80	734.40
				AGGREGATE	350	9.912	1.52	15.07	80	1205.60
18	Nagni Mata Stone crusher	233 / 25.05.2022	1943 / 31.12.2021	SAND	260	7.363	1.62	11.93	80	954.40
				AGGREGATE	500	14.160	1.52	21.52	80	1721.60
19	Nagni Mata Stone crusher	234 / 25.05.2022	1944 / 31.12.2021	SAND	600	16.992	1.62	27.53	80	2202.40
				AGGREGATE	1120	31.719	1.52	48.21	80	3856.80
20	Nagni Mata Stone crusher	235 / 25.05.2022	1945 / 31.12.2021	SAND	650	18.408	1.62	29.82	80	2385.60
				AGGREGATE	2220	62.872	1.52	95.56	80	7644.80
21	Nagni Mata Stone crusher	236 / 25.05.2022	1996 / 18.01.2022	SAND	565	16.001	1.62	25.92	80	2073.60
				AGGREGATE	1300	36.817	1.52	55.96	80	4476.80
22	Nagni Mata Stone crusher	237 / 25.05.2022	1997 / 18.01.2022	SAND	750	21.240	1.62	34.41	80	2752.80
				AGGREGATE	1440	40.782	1.52	61.99	80	4959.20
23	Nagni Mata Stone crusher	238 / 25.05.2022	2037 / 05.02.2022	SAND	820	23.223	1.62	37.62	80	3009.60
				AGGREGATE	2540	71.934	1.52	109.34	80	8747.20
24	Nagni Mata Stone crusher	239 / 25.05.2022	2038 / 05.02.2022	SAND	310	8.779	1.62	14.22	80	1137.60
				AGGREGATE	600	16.992	1.52	25.83	80	2066.40

- 43 -

25	Nagni Mata Stone crusher	240 / 25.05.2022	2039 / 05.02.2022	SAND	990	28.037	1.62	45.42	80	3633.60
				AGGREGATE	1870	52.960	1.52	80.50	80	6440.00
26	Nagni Mata Stone crusher	241 / 25.05.2022	2040 / 05.02.2022	SAND	280	7.930	1.62	12.85	80	1028.00
				AGGREGATE	540	15.293	1.52	23.25	80	1860.00
27	Nagni Mata Stone crusher	242 / 25.05.2022	2041 / 05.02.2022	SAND	280	7.930	1.62	12.85	80	1028.00
				AGGREGATE	540	15.293	1.52	23.25	80	1860.00
28	Nagni Mata Stone crusher	243 / 25.05.2022	2042 / 06.02.2022	SAND	780	22.090	1.62	35.79	80	2863.20
				AGGREGATE	1460	41.348	1.52	62.85	80	5028.00
29	Nagni Mata Stone crusher	244 / 25.05.2022	2043 / 06.02.2022	SAND	300	8.496	1.62	13.76	80	1100.80
				AGGREGATE	560	15.860	1.52	24.11	80	1928.80
30	Nagni Mata Stone crusher	245 / 25.05.2022	2044 / 06.02.2022	SAND	290	8.213	1.62	13.31	80	1064.80
				AGGREGATE	540	15.293	1.52	23.25	80	1860.00
31	Nagni Mata Stone crusher	246 / 25.05.2022	2045 / 07.02.2022	SAND	610	17.276	1.62	27.99	80	2239.20
				AGGREGATE	1160	32.852	1.52	49.93	80	3994.40
32	Nagni Mata Stone crusher	247 / 25.05.2022	2046 / 07.02.2022	SAND	300	8.496	1.62	13.76	80	1100.80
				AGGREGATE	560	15.860	1.52	24.11	80	1928.80
33	Nagni Mata Stone crusher	248 / 25.05.2022	2071 / 17.02.2022	SAND	300	8.496	1.62	13.76	80	1100.80
				AGGREGATE	560	15.860	1.52	24.11	80	1928.80
34	Nagni Mata Stone crusher	249 / 25.05.2022	2072 / 17.02.2022	SAND	280	7.930	1.62	12.85	80	1028.00
				AGGREGATE	540	15.293	1.52	23.25	80	1860.00
35	Nagni Mata Stone crusher	250 / 25.05.2022	2073 / 17.02.2022	SAND	280	7.930	1.62	12.85	80	1028.00
				AGGREGATE	520	14.727	1.52	22.38	80	1790.40
36	Nagni Mata Stone crusher	251 / 25.05.2022	2074 / 17.02.2022	SAND	625	17.700	1.62	28.67	80	2293.60
				AGGREGATE	1180	33.418	1.52	50.80	80	4064.00
37	Nagni Mata Stone crusher	252 / 25.05.2022	2075 / 17.02.2022	SAND	640	18.125	1.62	29.36	80	2348.80
				AGGREGATE	1200	33.985	1.52	51.66	80	4132.80
38	Nagni Mata Stone crusher	253 / 25.05.2022	2237 / 14.03.2022	SAND	185	5.239	1.62	8.49	80	679.20
				AGGREGATE	320	9.063	1.52	13.78	80	1102.40
39	Nagni Mata Stone crusher	254 / 25.05.2022	2238 / 14.03.2022	SAND	280	7.930	1.62	12.85	80	1028.00
				AGGREGATE	520	14.727	1.52	22.38	80	1790.40
40	Nagni Mata Stone crusher	255 / 25.05.2022	2239 / 14.03.2022	SAND	480	13.594	1.62	22.02	80	1761.60
				AGGREGATE	910	25.772	1.52	39.17	80	3133.60
41	Nagni Mata Stone crusher	256 / 25.05.2022	2240 / 14.03.2022	SAND	720	20.391	1.62	33.03	80	2642.40
				AGGREGATE	1690	47.862	1.52	72.75	80	5820.00
42	Nagni Mata Stone crusher	257 / 25.05.2022	2401 / 29.03.2022	SAND	500	14.160	1.62	22.94	80	1835.20
				AGGREGATE	75	2.124	1.52	3.23	80	258.40
43	Nagni Mata Stone crusher	258 / 25.05.2022	2403 / 29.03.2022	SAND	180	5.098	1.62	8.26	80	660.80
				AGGREGATE	340	9.629	1.52	14.64	80	1171.20
44	Nagni Mata Stone crusher	259 / 25.05.2022	2404 / 29.03.2022	SAND	240	6.797	1.62	11.01	80	880.80
				AGGREGATE	450	12.744	1.52	19.37	80	1549.60
45	Nagni Mata Stone crusher	260 / 25.05.2022	2405 / 29.03.2022	SAND	275	7.788	1.62	12.62	80	1009.60
				AGGREGATE	520	14.727	1.52	22.38	80	1790.40
46	Nagni Mata Stone crusher	261 / 25.05.2022	2406 / 29.03.2022	SAND	680	19.258	1.62	31.20	80	2496.00
				AGGREGATE	1290	36.534	1.52	55.53	80	4442.40
47	Nagni Mata Stone crusher	262 / 25.05.2022	2413 / 30.03.2022	SAND	750	21.240	1.62	34.41	80	2752.80
				AGGREGATE	1785	50.552	1.52	76.84	80	6147.20
15 वाँ वित्त आयोग										
48	Nagni Mata Stone crusher	5 / 12-05- 2022	2635 / 12-05-	SAND	210	5.947	1.62	9.64	80	771.20
				AGGREGATE	770	21.807	1.52	33.15	80	2652.00
TOTAL										234308.00
Panelty 25%										58577.00
NET TOTAL										292885.00

(Signature)

Roman Kumar

GPR SP Ghad-II

(Signature)
Technical Assistant
Gram Panchayat Ghad-II
Dev. Block Jagrata Surin

(Signature)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
घाड़-II
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां (डि.प्र.)

(22) 22

ग्राम पंचायत घाड़ II द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक की सूची
पैरा संख्या " 8.2. " के सन्दर्भ में

अनुदान	चौ. स./ दिनांक	विल. स. / दिनांक	सामग्री का विवरण	मात्रा	रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि(₹)	टिप्पणी
1. मनरेगा	74 से 121 / 25-05- 2022	19 / 16-09-2021, 20 / 16-09-2021, 22 / 16-09-2021, 29 / 26-11-2021, 30 / 26-11-2021, 31 / 26-11-2021, 32 / 26-11-2021, 33 / 26-11-2021, 34 / 26-11-2021, 35 / 26-11-2021, 36 / 16-12-2021, 37 / 16-12-2021, 38 / 16-12-2021, 39 / 16-12-2021, 40 / 16-12-2021, 41 / 16-12-2021, 42 / 16-12-2021, 43 / 17-12-2021, 44 / 17-12-2021, 45 / 17-12-2021, 46 / 17-12-2021, 47 / 17-12-2021, 48 / 02-02-2022, 49 / 02-02-2022, 50 / 02-02-2022, 51 / 18-03-2022, 52 / 02-02-2022, 53 / 02-02-2022, 54 / 02-02-2022, 55 / 03-02-2022, 56 / 03-02-2022, 57 / 03-02-2022, 58 / 04-02-2022, 59 / 04-02-2022, 60 / 06-02-2022, 61 / 06-02-2022, 62 / 06-02-2022, 63 / 06-02-2022, 64 / 06-02-2022, 67 / 02-03-2022, 68 / 02-03-2022, 69 / 02-03-2022, 70 / 02-03-2022, 71 / 16-03-2022, 72 / 16-03-2022, 74 / 18-03-2022, 75 / 19-03-2022, 77 / 29-03-2022,	पेंटिंग व लिखाई	48	₹650/-	मै० निर्मल सिंह	31200.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
2. 14 वां वित्तियोग	3 / 12- 05-2022	1346 / 09-05-2022	टाइल 24 x 24	75 box	635 + 18% gst	मै० अमर तेज इंटरप्राइज	56197.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
3. 14 वां वित्तियोग	4 / 12- 05-2022	630 / 02-05-2022	02 सीट स्विंग स्लाइडर विद लैडर 12 FF सी सा फोर सीटर ब्रिज लैडर मैरी गो राउन्ड सर्फ बोर्ड लेग प्रेस एयर वॉकर कंक्रीट बेंच 5 फुट	1 1 1 1 1 1 1 1 4	21500 23500 18500 19500 38500 32500 32900 29500 6890	मै० हिमाचल ट्रेडर्स	243960.00 (Actual Amount Paid 242464.00)	समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया


 (राजेश कुमार)
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत
 घाड़-II
 विकास खण्ड मन्सूरगढ़

ग्राम पंचायत घाड II द्वारा क्रय किये गये सामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है
पैरा संख्या " ६३ " के सन्दर्भ में

MNREGA						
क्र.सं.	वा.सं/ दिनांक	बिल सं/ दिनांक	सामग्री विवरण	मात्र / दर	आपूर्तिकर्ता	राशि
1	216 / 25.05.2022	1851 / 18.11.2021	SAND	255 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	27541.50
			AGGREGATE	485 Cub Ft /		
2	217 / 25.05.2022	1852 / 18.11.2021	SAND	326 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	35313.60
			AGGREGATE	620 Cub Ft /		
3	218 / 25.05.2022	1853 / 18.11.2021	SAND	320 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	35548.80
			AGGREGATE	638 Cub Ft /		
4	219 / 25.05.2022	1854 / 19.11.2021	SAND	650 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	72156.00
			AGGREGATE	1210+90 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
5	220 / 25.05.2022	1855 / 19.11.2021	SAND	385 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	41506.50
			AGGREGATE	730 Cub Ft / ₹ 32		
6	221 / 25.05.2022	1856 / 19.11.2021	SAND	465 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	72460.50
			AGGREGATE	890+700 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
7	222 / 25.05.2022	1877 / 03.12.2021	SAND	700 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	118860.00
			AGGREGATE	1400+1300 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
8	223 / 25.05.2022	1878 / 03.12.2021	SAND	775 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	123690.00
			AGGREGATE	1400+1350 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
9	224 / 25.05.2022	1934 / 30.12.2021	SAND	300 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	31710.00
			AGGREGATE	550 Cub Ft / ₹ 32		
10	225 / 25.05.2022	1935 / 30.12.2021	SAND	200 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	20412.00
			AGGREGATE	345 Cub Ft / ₹ 32		
11	226 / 25.05.2022	1936 / 30.12.2021	SAND	200 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	20580.00
			AGGREGATE	350 Cub Ft / ₹ 32		
12	227 / 25.05.2022	1937 / 30.12.2021	SAND	500 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	87045.00
			AGGREGATE	800+120 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
13	228 / 25.05.2022	1938 / 30.12.2021	SAND	430 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	49623.00
			AGGREGATE	950+1050 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
14	229 / 25.05.2022	1939 / 30.12.2021	SAND	200 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	20580.00
			AGGREGATE	350 Cub Ft / ₹ 32		
15	230 / 25.05.2022	1940 / 31.12.2021	SAND	190 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	19131.00
			AGGREGATE	320 Cub Ft / ₹ 32		
16	231 / 25.05.2022	1941 / 31.12.2021	SAND	200 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	20580.00
			AGGREGATE	350 Cub Ft / ₹ 32		
17	232 / 25.05.2022	1942 / 31.12.2021	SAND	200 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	20580.00
			AGGREGATE	350 Cub Ft / ₹ 32		
18	233 / 25.05.2022	1943 / 31.12.2021	SAND	260 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	28266.00
			AGGREGATE	500 Cub Ft / ₹ 32		
19	234 / 25.05.2022	1944 / 31.12.2021	SAND	600 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	64092.00
			AGGREGATE	1120 Cub Ft / ₹ 32		
20	235 / 25.05.2022	1945 / 31.12.2021	SAND	650 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	101157.00
			AGGREGATE	1050+250 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
21	236 / 25.05.2022	1996 / 18.01.2022	SAND	565 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	68071.50
			AGGREGATE	1220+1000 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
22	237 / 25.05.2022	1997 / 18.01.2022	SAND	750 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	81459.00
			AGGREGATE	1440 Cub Ft / ₹ 32		
23	238 / 25.05.2022	2037 / 05.02.2022	SAND	820 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	119427.00
			AGGREGATE	1550+990 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
24	239 / 25.05.2022	2038 / 05.02.2022	SAND	310 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	33831.00
			AGGREGATE	600 Cub Ft / ₹ 32		
25	240 / 25.05.2022	2039 / 05.02.2022	SAND	990 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	106491.00
			AGGREGATE	1870 Cub Ft / ₹ 32		
26	241 / 25.05.2022	2040 / 05.02.2022	SAND	280 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	30492.00
			AGGREGATE	540 Cub Ft / ₹ 32		

22

24

-46-

27	242 / 25.05.2022	2041 / 05.02.2022	SAND	280 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	30492.00
			AGGREGATE	540 Cub Ft / ₹ 32		
28	243 / 25.05.2022	2042 / 06.02.2022	SAND	780 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	83454.00
			AGGREGATE	1460 Cub Ft / ₹ 32		
29	244 / 25.05.2022	2043 / 06.02.2022	SAND	300 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	32046.00
			AGGREGATE	560 Cub Ft / ₹ 32		
30	245 / 25.05.2022	2044 / 06.02.2022	SAND	290 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	30933.00
			AGGREGATE	540 Cub Ft / ₹ 32		
31	246 / 25.05.2022	2045 / 07.02.2022	SAND	610 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	65877.00
			AGGREGATE	1160 Cub Ft / ₹ 32		
32	247 / 25.05.2022	2046 / 07.02.2022	SAND	300 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	32046.00
			AGGREGATE	560 Cub Ft / ₹ 32		
33	248 / 25.05.2022	2071 / 17.02.2022	SAND	300 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	32046.00
			AGGREGATE	560 Cub Ft / ₹ 32		
34	249 / 25.05.2022	2072 / 17.02.2022	SAND	280 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	30492.00
			AGGREGATE	540 Cub Ft / ₹ 32		
35	250 / 25.05.2022	2073 / 17.02.2022	SAND	280 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	29820.00
			AGGREGATE	520 Cub Ft / ₹ 32		
36	251 / 25.05.2022	2074 / 17.02.2022	SAND	625 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	67210.50
			AGGREGATE	1180 Cub Ft / ₹ 32		
37	252 / 25.05.2022	2075 / 17.02.2022	SAND	640 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	68544.00
			AGGREGATE	1200 Cub Ft / ₹ 32		
38	253 / 25.05.2022	2237 / 14.03.2022	SAND	185 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	18910.50
			AGGREGATE	320 Cub Ft / ₹ 32		
39	254 / 25.05.2022	2238 / 14.03.2022	SAND	280 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	29820.00
			AGGREGATE	520 Cub Ft / ₹ 32		
40	255 / 25.05.2022	2239 / 14.03.2022	SAND	480 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	51744.00
			AGGREGATE	910 Cub Ft / ₹ 32		
41	256 / 25.05.2022	2240 / 14.03.2022	SAND	720 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	87843.00
			AGGREGATE	1360+330 Cub Ft / ₹ 32, ₹ 30		
42	257 / 25.05.2022	2401 / 29.03.2022	SAND	500 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	24570.00
			AGGREGATE	75 Cub Ft / ₹ 32		
43	258 / 25.05.2022	2403 / 29.03.2022	SAND	180 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	19362.00
			AGGREGATE	340 Cub Ft / ₹ 32		
44	259 / 25.05.2022	2404 / 29.03.2022	SAND	240 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	26460.00
			AGGREGATE	450 Cub Ft / ₹ 32		
45	260 / 25.05.2022	2405 / 29.03.2022	SAND	275 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	29599.50
			AGGREGATE	520 Cub Ft / ₹ 32		
46	261 / 25.05.2022	2406 / 29.03.2022	SAND	680 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	73332.00
			AGGREGATE	1290 Cub Ft / ₹ 32		
47	262 / 25.05.2022	2413 / 30.03.2022	SAND	750 Cub Ft / ₹ 42	M/s Nagni Mata Stone crusher	92284.50
			AGGREGATE	1785 Cub Ft / ₹ 32		
कुल योग						2407490.40

Pravin Kumar
GDS GP Ghad-II

Technical Assistant
Ghad-II
Nagrota Surian

(राजेश कुमार)
ग्राम पंचायत
घाड़-II
विकास खण्ड नगरोटा सूरिया (डि.प्र.)

25

ग्राम पंचायत घाड II द्वारा सिमेंट की खरीद उपरांत समायोजन हेतु शेष पाई गई अनुदान राशि की सूची
पैरा संख्या " ४.५ " के संदर्भ में

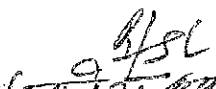
S. No.	Vr. No.	Voucher Date	Proforma Invoice No.	Proforma Invoice Date	Qty	Rate	Amount	Bill No.	Bill Dated	Bill Qty	Rate	Amount	Pending Amount for Adjustment
1	05	06.07.2021	0095173	03-05-2021	180	328.36	59104.80	9439	16-10-2021	50	341.36	17068.00	
								212275	30-10-2021	123	341.36	41987.28	
										173		59055.28	49.52
2	06	06.07.2021	0095174	03-05-2021	170	328.36	55821.20	18821	30-05-2022	65	341.36	22188.40	
								18927	17-06-2022	25	341.36	8534.00	
										90		30722.40	25098.80
3	07	06.07.2021	0095175	03-05-2021	65	328.36	21343.40	17431	18-03-2022	60	341.36	20481.60	861.80
4	10	06.07.2021	1918754	24-11-2020	200	328.36	65672.00	19907	17-12-2021	175	341.36	59738.00	
								19920	01-03-2022	17	341.36	5803.12	
										192		65541.12	130.88
5	11	06.07.2021	1918756	24-11-2020	165	328.36	54179.40	907	14-07-2021	85	341.36	29015.60	
								17432	10-04-2021	10	341.36	3413.60	
								9429	10-04-2021	25	341.36	8534.00	
										120		40963.20	13216.20
6	12	06.07.2021	1918759	24-11-2020	155	328.36	50895.80	19916	27-12-2021	99	341.36	33794.64	17101.16
7	13	06.07.2021	1918762	24-11-2020	65	328.36	21343.40	19934	01-11-2022	62	341.36	21164.32	179.08
8	14	06.07.2021	1918772	24-11-2020	180	328.36	59104.80	21276	30-10-2021	154	341.36	52569.44	6535.36
9	15	06.07.2021	1918773	24-11-2020	70	328.36	22985.20	18804	13-05-2022	67	341.36	22871.12	114.08
10	16	06.07.2021	1918775	24-11-2020	65	328.36	21343.40	19905	16-12-2021	65	341.36	22188.40	-845.00
11	17	06.07.2021	1918777	24-11-2020	60	328.36	19701.60	23029	23-11-2021	57	341.36	19457.52	244.08
12	18	06.07.2021	1918779	24-11-2020	65	328.36	21343.40	0036750	26-07-2021	63	341.36	21505.68	-162.28
13	19	06.07.2021	1918780	24-11-2020	60	328.36	19701.60	19915	27-12-2021	60	341.36	20481.60	-780.00
14	20	06.07.2021	1918781	24-11-2020	180	328.36	59104.80	0027402	26-07-2021	100	341.36	34136.00	
								905	09-07-2021	54	341.36	18433.44	
										154		52569.44	6535.36
15	21	06.07.2021	1918782	24-11-2020	185	328.36	60746.60	0027403	26-07-2021	74	341.36	25260.64	
								908	14-06-2021	104	341.36	35501.44	
										178		60762.08	-15.48
16	22	06.07.2021	1918783	24-11-2020	440	328.36	144478.40	0027404	26-07-2021	100	341.36	34136.00	
								906	14-08-2021	203	341.36	69296.08	
								945	20-09-2021	120	341.36	40963.20	
										423		144395.28	83.12
17	23	06.07.2021	1918785	24-11-2020	65	328.36	21343.40	19906	16-12-2021	62	341.36	21164.32	179.08
18	24	06.07.2021	1918786	24-11-2020	180	328.36	59104.80	904	14-09-2021	80	341.36	27308.80	
								947	20-09-2021	41	341.36	13995.76	
								9427	24-09-2021	10	341.36	3413.60	
								9445	25-10-2021	30	341.36	10240.80	
										161		54958.96	4145.84
19	25	06.07.2021	1918787	24-11-2020	50	328.36	16418.00	21279	11-01-2021	48	341.36	16385.28	32.72
20	26	06.07.2021	1918794	24-11-2020	60	328.36	19701.60	19943	28-01-2022	57	341.36	19457.52	244.08
21	29	06.07.2021	0027359	13-07-2021	210	341.36	71685.60	21558	14-02-2022	100	341.36	34136.00	
								16425	26-02-2022	102	341.36	34818.72	
										202		68954.72	2730.88
22	30	06.07.2021	0027360	13-07-2021	210	341.36	71685.60	19908	21-12-2021	120	341.36	40963.20	
								19918	01-01-2022	90	341.36	30722.40	
										210		71685.60	0.00
23	31	06.07.2021	0027361	13-07-2021	50	341.36	17068.00	909	14-08-2021	50	341.36	17068.00	0.00
24	32	06.07.2021	0095172	03-05-2021	140	328.36	45970.40	23093	30-11-2021	93	341.36	31746.48	
								19911	16-12-2021	33	341.36	11264.88	
										126		43011.36	2959.04
25	33	06.07.2021	0095176	03-05-2021	65	328.36	21343.40	9425	10-06-2021	65	341.36	22188.40	-845.00
26	34	06.07.2021	0095195	17/04/2021	166	328.36	54507.76	23034	30-11-2021	160	341.36	54617.60	-109.84
27	35	06.07.2021	0095196	17/04/2021	180	328.36	59104.80	23036	12-06-2021	160	341.36	54617.60	4487.20
28	36	06.07.2021	0095197	17/04/2021	250	328.36	82090.00	910	14-08-2021	75	341.36	25602.00	
								944	09-05-2021	60	341.36	20481.60	
								946	20-09-2021	19	341.36	6485.84	
										154		52569.44	29520.56
29	38	06.07.2021	0095199	17/04/2021	64	328.36	21015.04	19912	23-12-2021	61	341.36	20822.96	192.08
								19909	27-12-2021	90	341.36	30722.40	
30	39	06.07.2021	0095200	17/04/2021	230	328.36	75522.80	19919	01-03-2022	130	341.36	44376.80	
										220		75099.20	423.60

26

31	40	06.07.2021	1918755	24-11-2020	60	328.36	19701.60	23035	12-06-2021	57	341.36	19457.52	244.08
32	41	06.07.2021	1918757	24-11-2020	132	328.36	43343.52	23030	23-11-2021	132	341.36	45059.52	-1716.00
33	42	06.07.2021	1918758	24-11-2020	70	328.36	22985.20	21278	11-01-2021	70	341.36	23895.20	-910.00
34	43	06.07.2021	1918760	24-11-2020	50	328.36	16418.00	949	24-09-2021	50	341.36	17068.00	-650.00
35	44	06.07.2021	1918761	24-11-2020	50	328.36	16418.00	16429	03-12-2022	48	341.36	16385.28	32.72
36	45	06.07.2021	1918763	24-11-2020	55	328.36	18059.80	9426	10-04-2021	55	341.36	18774.80	-715.00
37	46	06.07.2021	1918764	24-11-2020	65	328.36	21343.40	23031	23-11-2021	61	341.36	20822.96	520.44
38	47	06.07.2021	1918765	24-11-2020	50	328.36	16418.00	19917	27-12-2021	50	341.36	17068.00	-650.00
39	48	06.07.2021	1918766	24-11-2020	60	328.36	19701.60	902	14-08-2021	57	341.36	19457.52	244.08
40	49	06.07.2021	1918767	24-11-2020	60	328.36	19701.60	18928	25-06-2022	57	341.36	19457.52	244.08
41	50	06.07.2021	1918768	24-11-2020	60	328.36	19701.60	147957	24-10-2022	49	397.00	19453.00	248.60
42	51	06.07.2021	1918769	24-11-2020	175	328.36	57463.00	9442	16-10-2021	60	341.36	20481.60	35274.60
								9444	25-10-2021	5	341.36	1706.80	
										65		22188.40	
43	52	06.07.2021	1918770	24-11-2020	175	328.36	57463.00	23032	27-11-2021	160	341.36	54617.60	2845.40
44	53	06.07.2021	1918771	24-11-2020	160	328.36	52537.60	948	20-09-2021	100	341.36	34136.00	9867.60
								9428	10-06-2021	25	341.36	8534.00	
										125		42670.00	
45	55	06.07.2021	1918776	24-11-2020	65	328.36	21343.40	0027401	26-07-2021	63	341.36	21505.68	-162.28
46	56	06.07.2021	1918778	24-11-2020	60	328.36	19701.60	19913	27-12-2021	60	341.36	20481.60	-780.00
47	57	06.07.2021	1918784	24-11-2020	185	328.36	60746.60	18820	30-08-2022	98	341.36	33453.28	27293.32
48	58	06.07.2021	1918788	24-11-2020	50	328.36	16418.00	18805	13-05-2022	48	341.36	16385.28	32.72
49	59	06.07.2021	1918789	24-11-2020	50	328.36	16418.00	9441	16-10-2021	50	341.36	17068.00	-650.00
50	60	06.07.2021	1918790	24-11-2020	50	328.36	16418.00	9446	25-10-2021	50	341.36	17068.00	-650.00
51	61	06.07.2021	1918791	24-11-2020	50	328.36	16418.00	9440	16-10-2021	50	341.36	17068.00	-650.00
52	62	06.07.2021	1918792	24-11-2020	50	328.36	16418.00	19935	01-11-2022	48	341.36	16385.28	32.72
53	63	06.07.2021	1918793	24-11-2020	50	328.36	16418.00	21277	30-10-2021	50	341.36	17068.00	-650.00
54	66	06.07.2021	1918797	24-11-2020	65	328.36	21343.40	19914	24-11-2020	65	341.36	22188.40	-845.00
55	68	06.07.2021	1918799	24-11-2020	40	328.36	13134.40	16428	03-12-2022	38	341.36	12971.68	162.72
56	69	06.07.2021	1918800	24-11-2020	65	328.36	21343.40	903	14-08-2021	62	341.36	21164.32	179.08
57	64	06.07.2021	1918795	24-11-2020	280	328.36	91940.80	228215	12-12-2022	8	397.00	3176.00	-1883.60
								246805	12-12-2022	160	397.00	63520.00	
								228234	29-12-2022	65	417.36	27128.40	
58	09	06.07.2021	1918753	24-11-2020	500	328.36	164180.00			233		93824.40	6133.04
								147991	12-06-2022	75	397.00	29775.00	
								147992	12-06-2022	75	397.00	29775.00	
		228231	29-12-2022	236	417.36	98496.96			386		158046.96		
59	08	06.07.2021	1918752	24-11-2020	185	328.36	60746.60	No Cement supplied yet				0	60746.60
60	37	06.07.2021	0095198	17/04/2021	220	328.36	72239.20	358498	06-10-2023	180	341.36	61444.80	10794.40
61	54	06.07.2021	1918774	24-11-2020	280	328.36	91940.80	228279	05-06-2023	180	397.00	71460.00	4600.80
								358471	06-05-2023	40	397.00	15880.00	
										220		87340.00	
62	65	06.07.2021	1918796	24-11-2020	140	328.36	45970.40	No Cement supplied yet				0.00	45970.40
63	67	06.07.2021	1918798	24-11-2020	150	328.36	49254.00	No Cement supplied yet				0.00	49254.00
TOTAL AMOUNT PENDING FOR ADJUSTMENT													356116.44


 Ram Kumar
 GRS GP Ghaad-II

शासिका
 Gram Panchayat
 Ghaad-II
 Dist. Mohiott, Jharkhand


 (रा. क. शासिका)
 ग्राम पंचायत
 ग्राह-II
 विकास खण्ड नर्मदा जिला (बी. ए.)